



FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

2022/464

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

कालु के वजाय सुरेश कुमार, बनाम शंभुलाल
किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 299/2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
<p>13/6/2022</p>	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>गुप्तीजी कालु शंभुलाल हीराजी ओड मूलक के वजाय - सुरेश कुमार - शंभुलाल शंभुलाल जी ओड फूलबीबाई बाबू कालु जी ओड, मोहन-बालाबाई पिता कालुजी ओड वसन्तीबाई प्रार्थी श्री शंभुलाल पती लालराम ओड, सुनील शंभुलाल राम ओड, गोपाल पिता लालराम ना. बा. जरिर परसक वसन्तीबाई बाबू लालराम ओड, मिहु शंभुलाल पिता श्री ना. बा. जरिर परसक वसन्तीबाई बाबू मदनलाल ओड, वसन्तीबाई बाबू मदनलाल ओड गोरी शंभुलाल ओड ना. बा. जरिर परसक माल वसन्तीबाई बाबू मदनलाल ओड निवासी - सुरजना तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 601, 816/602</p> <p>सुरजना (पं.ह. सेमलपुरा)</p> <hr/> <p>कुल कीता 2 कुल रकबा 0.5700 है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम सुरजना (पं.ह. सेमलपुरा) स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 601, 816/602</p> <hr/> <p>कुल कीता 2 रकबा 0.5700 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 500/- रुपये अक्षर पान्च लो रकबा प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <div style="text-align: center;">  <p>(राजेश कुमार किरनेई) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p> </div> <div style="text-align: right;">  </div>